भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2145

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत कर्मचारियों का कवरेज

2145. श्री आर.गोपालकृष्णन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोक भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के कवरेज को बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक व्यक्तियों/निजी कंपनियों को शामिल करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत शामिल किए गए व्यक्तियों/निजी कंपनियों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(घ) इस कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हाँ। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए, 01.09.2014 से सांविधिक मजदूरी सीमा को प्रति माह 6500/- रूपये से बढ़ाकर 15000/- रूपये किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवरेज के लिए मजदूरी सीमा को भी 01.01.2017 से प्रतिमाह 15000/-रुपये से बढ़ाकर 21000/-रुपये कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और इस तरह कर्मचारी भविष्य निधि कवरेज के अंतर्गत और अधिक लोगों को लाने के लिए, 09.08.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार नियोक्ता के हिस्से का सम्पूर्ण अंशदान अर्थात् मजदूरी के 12 प्रतिशत का वहन करती है। आदिनांक 1.18 लाख प्रतिष्ठानों और 97.25 लाख कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

ईएसआई स्कीम में, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार इस स्कीम में कवर किए गए बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ के साथ-साथ रुग्णता, प्रसूति तथा रोजगारजन्य चोटों के लिए नकद लाभ का प्रावधान है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, ईएसआई स्कीम के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या 3.43 करोड़ है और चिकित्सा लाभ के हकदार कुल लाभार्थियों की संख्या 13.32 करोड़ है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, ईएसआई स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए नियोक्ताओं की संख्या 10,33,730 है।

(ग): ईपीएफओ के अंतर्गत कवर किए गए सदस्य, खातों तथा प्रतिष्ठानों का विवरण अनुबंध में है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ लाभ प्रदान करने तथा सभी पात्र प्रतिष्ठानों को इसके अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य है। जहां तक ईएसआई स्कीम का संबंध है, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सहायता से चिकित्सा और नकद लाभों की व्यवस्थाएं गैर-क्रियान्वित क्षेत्रों को विस्तारित की जा रही हैं।

*   ***

<u>अनुबंध</u>

"भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत कर्मचारियों का कवरेज" के संबंध में श्री आर.गोपालकृष्णन द्वारा पूछे गए 24.12.2018 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2145 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य	2016		2017		2018	
	प्रतिष्ठान	**सदस्य**	**प्रतिष्ठान**	**सदस्य**	**प्रतिष्ठान**	**सदस्य**
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	675	30528	विभाजन उपलब्ध नहीं है		941	40142
आंध्र प्रदेश	36928	3263263	86521	14447510	41956	4089838
अरुणाचल प्रदेश	833	23056	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
असम	8913	589558	15054	945193	20536	991874
बिहार	11505	1038753	14542	1235709	17428	1394818
चंडीगढ़	3099	788608	22321	3160330	11939	2465301
छत्तीसगढ	12171	1330494	13962	1547123	15984	1727620
दादरा और नागर हवेली	104	38270	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
दमन और दीव	1538	454785	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
दिल्ली	58568	13972550	62930	15546706	67810	16889474
गोवा	4515	1189486	4828	1316705	5090	1395713
गुजरात	79963	12927251	88829	15260059	95738	16711292
हरियाणा	44571	12391650	48686	14041586	52985	15428652
हिमाचल प्रदेश	9960	1165652	13474	1362504	16575	1508104
झारखंड	16924	1811688	18624	1997937	20370	2152331
कर्नाटक	65551	20161034	73196	22497385	82277	24475636
केरल	25714	2636043	27108	2973688	28463	3145561
लक्षद्वीप	14	78	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
मध्य प्रदेश	31492	3838608	36499	4403751	42225	4813494
महाराष्ट्र	142910	34127787	159398	38417086	175978	42035107
मणिपुर	677	23323	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
मेघालय	808	81868	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
मिजोरम	199	6928	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
नागालैंड	522	14733	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
ओडिशा	22383	2629589	25589	2925452	28529	3137629
पुदुचेरी	2329	433661	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
पंजाब	39440	4847089	22874	3051343	35937	4126454
राजस्थान	33194	4273456	37867	4923490	42583	5447387
सिक्किम	416	50033	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
तमिलनाडु	102040	20578908	111768	23653089	119953	25571393
तेलंगाना	42666	9393447	विभाजन उपलब्ध नहीं है		50885	11582857
त्रिपुरा	1113	78250	विभाजन उपलब्ध नहीं है		1296	94607
उत्तर प्रदेश	64423	7242952	72344	8349214	81157	9277059
उत्तराखंड	8497	2274176	9897	2714784	11420	3046623
पश्चिम बंगाल	51642	7706426	57877	8621216	63561	9262082
कुल	**926297**	**171413981**	**1024188**	**193391860**	**1131616**	**210811048**

*****